कार्यालय प्रमुख अभियंता
(अधिष्ठान-2 अनुभाग)
सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

डायरी संख्या 4090....../क०के०सिं०वि०
दिनांक 8.11.16..लखनऊ

पत्रांकःजी-507/ई-2/ज्येष्ठता, लखनऊः दिनांक : 28 अक्टूबर,2016

विषयः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित किये जाने के सम्बंध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर-2), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-242/सत्ताईस-13-2016-91/10टी0सी0, दिनांक 28.10.2016 द्वारा 18 सहायक अभियन्ताओं में से श्री जय सिंह एवं श्री दिनेश कुमार को छोड़ते हुये शेष 16 अभियन्ताओं की वरिष्ठता कार्यालय ज्ञाप संख्या-599/सत्ताईस-1-2014-91/10टी0सी0, दिनांक 04.03.2014 में पूर्ववत निर्धारित कमांकों पर अनन्तिम रूप से प्रख्यापित की गयी है।

उक्त शासकीय ज्ञाप संख्या-242/सत्ताईस-13-2016-91/10टी0सी0, दिनांक 28.10.2016 की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उक्त शासकीय पत्र द्वारा निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता के कम में यदि किसी अधिकारी की कोई आपत्ति है तो वह अपनी लिखित आपत्ति/प्रत्यावेदन निर्गत तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति/प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रख्यापित कर दी जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(कुलदीप श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियंता (ई-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिं0एवं ज0सं0वि0

पत्रांकः जी-507(1)/ई-2/तदिनांकः28.10.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासकीय कार्यालय ज्ञापसंख्या-242/सत्ताईस-13-2016-91/10टी0सी0, दिनांक 28.10.2016 की छायाप्रति संलग्नकर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (1/3) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (ई-8) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त शासकीय पत्र को वेब साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, चरित्र पंजी प्रकोष्ठ (ई-2), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. महासचिव, सहायक अभियंता संघ/अवर अभियंता संघ, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

28/10/16
(कुलदीप श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियंता (ई-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिं0एवं ज0सं0वि0

श्री अजय, क.सहा
7.11.16

D:\Sanjay Mishra (E-2) Year 2016\Letter Sri B.R.Verma 16

पी-5-7/सि-2
8645
28/10/2016
दिनांक 28/10/2016

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13
संख्या- 242 /सत्ताईस-13-2016-91/10टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 28 अक्टूबर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-599/सत्ताईस-1-2014-91/10टी0सी0 दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम-8 के प्राविधानों के तहत वर्ष 2001 के पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति संवर्ग के सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गयी है।

2. सिविल अपील सं0-2608/2011 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन बनाम् राजेश कुमार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 30.03.2015 एवं दिनांक 21.08.2015 के कम में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के आधार पर सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 के आदेश सं0-187/2671/सत्ताईस-2-2015-03(45)/15, दिनांक 09.09.2015 द्वारा 29 सहायक अभियन्ताओं को अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदावनत किया गया था, जिसमें वरिष्ठता सूची दिनांक 04.03.2014 में सम्मिलित डिग्रीधारी कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नत निम्नलिखित 18 अभियन्ता भी सम्मिलित थे:-

कमांक	नाम/सर्वश्री	जन्मतिथि
1	संतोष कुमार	01.06.1967
2	मुकेश कुमार	01.04.1976
3	प्रवीण जोशिया	27.09.1974
4	प्रवीण प्रकाश गौतम	15.04.1972
5	संजय कुमार	28.09.1972
6	विनोद कुमार	18.04.1972
7	भूपेश कुमार सुहेरा	02.07.1972
8	नवनीत कुमार	20.08.1973
9	अजय कुमार	20.08.1973
10	जय सिंह	06.01.1973
11	उमेश चन्द्र	14.07.1971
12	राजेन्द्र कुमार	21.08.1967
13	प्रमोद कुमार	01.01.1971
14	दिग्विजय सिंह	01.01.1971
15	मनोज कुमार	01.01.1973
16	दिनेश कुमार	09.07.1974
17	त्रिलोक चन्द्र	10.07.1972
18	कौशल किशोर दिवाकर	21.04.1973

टेमा/श्री वर्मा
28/10/16
(ए-2)
प्र0अ0 (का0-2)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ
28/10/16

2- पदावनत किए गए उक्त 18 अभियन्ताओं में से निम्न 04 अभियन्ता सीधी भर्ती के अन्तर्गत चयनित थे, जिन्हें सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 के कार्यालय-आदेश दिनांक 18.02.2016 तथा कार्यालय-आदेश दिनांक 10.06.2016 द्वारा सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी है, जो अपने नाम के सम्मुख तिथियों को सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता के रूप में कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं:-

1. श्री त्रिलोक चन्द्र, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20.02.2016
2. श्री संजय कुमार, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 19.02.2016
3. श्री दिनेश कुमार, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 11.06.2016
4. श्री जय सिंह, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 11.06.2016

3— सहायक अभियन्ता से अवर अभियन्ता के पद पर पदावनति के पश्चात् सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09.08.2016 द्वारा अवर अभियन्ता के पद पर पदावनत 18 अभियन्ताओं में 16 अभियन्ताओं को वरिष्ठता सूची से बाहर कर दिया गया तथा शेष 02 श्री जय सिंह एवं श्री दिनेश कुमार को भी पदोन्नति संवर्ग में सहायक अभियन्ता के पद पर वरिष्ठता सूची से बाहर करते हुए उनके सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता (सिविल) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के कम में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09.08.2016 द्वारा उनकी ज्येष्ठता सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति के अनुसार कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2014 में कमशः कमांक–197 एवं 233 पर यथावत बनाए रखी गई है।

4— पदावनत 18 अभियन्ताओं में श्री दिग्विजय सिंह व 15 अन्य द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष योजित अवमानना याचिका सं0–259/2016 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 के अनुपालन में सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–2 के आदेश दिनांक 13.07.2016 द्वारा ग्रीवान्स कमेटी का गठन किया गया, जिसकी बैठक दिनांक 22.07.2016 को सम्पन्न हुई। ग्रीवान्स कमेटी द्वारा की गयी संस्तुतियों के कम में कार्यालय आदेश सं0–381/2016/3357/16–सत्ताईस–2–3(1)/2016, दिनांक 06.08.2016 द्वारा आदेश दिनांक 09.09.2015 द्वारा सहायक अभियन्ता सिविल से अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदावनत किए गए 29 अवर अभियन्ताओं में से 18 अभियन्ताओं को पदावनत करने की तिथि 09.09.2015 से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदस्थापित किया गया है।

5— सहायक अभियन्ता के पद पर पुनः पदस्थापित 18 अभियन्ताओं में से श्री त्रिलोक चन्द्र व श्री संजय कुमार द्वारा सीधी भर्ती की सेवा का इच्छुक न होने का प्रार्थना–पत्र दिया गया है। इसी प्रकार श्री जय सिंह एवं श्री दिनेश कुमार द्वारा प्रोन्नत संवर्ग में सहायक अभियन्ता सिविल के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न होने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6— अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त 18 सहायक अभियन्ताओं में से श्री जय सिंह एवं श्री दिनेश कुमार को छोड़ते हुये शेष 16 अभियन्ताओं की वरिष्ठता कार्यालय ज्ञाप सं0–599/सत्ताईस–1–2014–91/10टी0सी0, दिनांक 04.03.2014 में पूर्ववत निर्धारित कमांक पर अनन्तिम रूप से एतद्द्वारा निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है:–

क्र0	नाम/सर्वश्री	जन्मतिथि	कार्यालय ज्ञाप सं0–2327/सत्ताईस –1–2016–324/01, दिनांक 09.08.2016 द्वारा निर्धारित वरिष्ठता कमांक	कार्यालय ज्ञाप सं0–599/सत्ताईस–1–2014–91/10टी0 सी0, दिनांक 04.03.2014 में पुनर्निर्धारित वरिष्ठता कमांक
1	संतोष कुमार	01.06.1967	वरिष्ठता सूची के बाहर	89
2	मुकेश कुमार	01.04.1976	वरिष्ठता सूची के बाहर	90
3	प्रवीण जोशिया	27.09.1974	वरिष्ठता सूची के बाहर	91
4	प्रवीण प्रकाश गौतम	15.04.1972	वरिष्ठता सूची के बाहर	92
5	संजय कुमार	28.09.1972	वरिष्ठता सूची के बाहर	93
6	विनोद कुमार	18.04.1972	वरिष्ठता सूची के बाहर	94
7	भूपेश कुमार सुहेरा	02.07.1972	वरिष्ठता सूची के बाहर	95
8	नवनीत कुमार	20.08.1973	वरिष्ठता सूची के बाहर	96
9	अजय कुमार	20.08.1973	वरिष्ठता सूची के बाहर	97
10	उमेश चन्द्र	14.07.1971	वरिष्ठता सूची के बाहर	99
11	राजेन्द्र कुमार	21.08.1967	वरिष्ठता सूची के बाहर	100

(14) अधि० अभि० कम्प्यूटर केन्द्र
03/11/16

12	प्रमोद कुमार	01.01.1971	वरिष्ठता सूची के बाहर	101
13	दिग्विजय सिंह	01.01.1971	वरिष्ठता सूची के बाहर	102
14	मनोज कुमार	01.01.1973	वरिष्ठता सूची के बाहर	103
15	त्रिलोक चन्द्र	10.07.1972	वरिष्ठता सूची के बाहर	105
16	कौशल किशोर दिवाकर	21.04.1973	वरिष्ठता सूची के बाहर	107

7— इस ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में यदि किसी अधिकारी की कोई आपत्ति है तो वह अपनी लिखित आपत्ति/प्रत्यावेदन निर्गत तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर प्रेषित कर सकता है। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्यिों/प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और इस अनन्तिम ज्येष्ठता के विरुद्ध समयान्तर्गत प्राप्त आपत्तियों एवं प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के उपरान्त अन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित कर दी जाएगी।

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव।

संख्या– 242 (1)/ सत्ताईस–13–2016–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने स्तर से सूची परिचालित करें एवं प्राप्त आपत्तियों पर अपनी आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
28/10/2016
(राम चन्द्र यादव)
संयुक्त सचिव।